राजीव अरोड़ा

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(2008 की सिविल अपील संख्या 5306)

29 अगस्त, 2008

[एस.बी. सिन्हा और सिरियाक जोसेफ, जेजे.]

वायु सेना नियमावली; नियम 43:

सेना न्यायालय-दुराचरण के आरोप- गवाहों की परीक्षा नहीं किया जाना - का प्रभाव - अभिनिर्धारित: कोई कारण नहीं है कि नामित गवाह जो ही आरोप साबित कर सकते थे, उनकी सेना न्यायालय कार्यवाही में परीक्षा क्यों नहीं की गई - चूंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है, इसलिए उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था - सेना न्यायालय कार्यवाही आयोजित करने से पहले, इसके लिए कानूनी आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए - संतोष एक निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए कि साक्ष्य से इन आरोपों पर विचारण न्यायोचित है - बिना किसी साक्ष्य के पारित आदेश को विकृत माना जाना चाहिए - इसलिए, आरोप सं. 1, 2, 3 के संबंध में आक्षेपित आदेश इसे कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि इन आरोपों को साबित करने के लिए गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है - साक्ष्य - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत - अनुपालन - विवेचन किया गया।

अपीलार्थी, भारतीय वायु सेना में एक कमीशन प्राप्त अधिकारी, ने समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। कार्यालय द्वारा एक अच्छे आचरण का प्रमाणपत्र

जारी किया गया। तथापि, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई और उसके खिलाफ 7 आरोप लगाते हुए आरोप पत्र जारी किया गया। बाद में, एक जनरल सेना न्यायालय द्वारा विचारण के लिए एक संयोजक आदेश जारी किया गया था। उन्होंने जज एडवोकेट के प्रतिस्थापन के लिए एक आवेदन दायर किया। प्राधिकारी द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया। सेना न्यायालय कार्यवाही में पहले तीन आरोपों के संबंध में नामित गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। व्यथित कर्मचारी ने सेना न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक रिट याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अतः यह वर्तमान अपील है।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया -

1.1 प्रत्यर्थीगण की ओर से एक अभिवाक् लिया गया कि कथित गवाहों की परीक्षा न किये जाने के कारण याचिकाकर्ता के प्रति कोई अन्याय कारित नहीं हुआ है, इस आधार पर कि अन्य बातों के अलावा आरोप संख्या 2 के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और वह रिपोर्ट साक्ष्य के सारांश में प्रस्तुत की गई है। आया आरोप-पत्र में नामित साक्षियों के अपरीक्षण के कारण अन्याय कारित हुआ है, अनिवार्य रूप से एक तथ्य का प्रश्न है। प्रत्येक मामले में उपलब्ध होने वाले तथ्यों एवं परिस्थितियों के संदर्भ में एक अनुमान लिया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित किये गये आरोप विनिर्दिष्ट थे। कथित दुराचरण उनमें आरोपित व्यक्तियों के संबंध में हैं। इस बाबत कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है कि ऐसे साक्षी परीक्षित क्यों नहीं किये जा सके। पी.डब्ल्यु-7 रिपोर्ट के संरक्षक था। वह उसका निर्माता नहीं था। रिपोर्ट की सत्यता या अन्यथा के संबंध में प्रभावी प्रति परीक्षा की जा सकती थी, यदि उसकी अन्तर्वस्तु साबित की जानी थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के सदृश

सिद्धान्त और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त भी मांग करते हैं कि रिपोर्ट के निर्माता की परीक्षा की जानी चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़ कर जहां तथ्य स्वीकृत हों या साक्षी प्रतिपरीक्षा के लिए उपलब्ध न हों या ऐसी ही अन्य स्थिति हो। इस संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया है कि नामित गवाहों, जो केवल आरोप साबित कर सकते थे, परीक्षित नहीं किये गये। निर्विवाद रूप से, वे प्रमुख गवाह थे। (चरण 11, 12, 13) [1033, सी-एच; 1034, ए-बी]

1.2 उच्च न्यायालय अपने आक्षेपित निर्णय में एक तकनीकी अभिवाक् पर, कि ऐसे अपरीक्षण से अपीलार्थी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, विवाद पर विचार करने को अग्रसर हुआ। यदि विधि के आधारभूत सिद्धान्तों का अनुपालन नहीं किया गया है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का घोर उल्लंघन हुआ है, तो उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की अपनी अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए था। (चरण 14) [1034, सी]

1.3 सेना न्यायालय कार्यवाही शुरू करने से पहले उसकी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना आवश्यक है। संबंधित अधिकारी का समाधान इस निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए कि साक्ष्य उन आरोपों पर विचारण को उचित ठहराते हैं। किसी साक्ष्य के बिना ऐसे समाधान पर नहीं पहुंचा जा सकता। यदि बिना किसी साक्ष्य के आदेश पारित किया जाता है तो उसे विकृत माना जाना चाहिए। उच्च न्यायालय की यह राय सही नहीं थी कि अपीलार्थी ने उक्त कार्यवाही में कोई आपत्ति नहीं उठाई। इसलिए, आरोप संख्या 1, 2 व 3 के संबंध में आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता। उन्हें तदनुसार अपास्त किया जाता है। चूंकि आरोप संख्या 4 से 7 को साबित करने हेतु साक्षीगण की परीक्षा की गई है, आरोप संख्या 4 से 7 के संबंध में जनरल सेना न्यायालय कार्यवाही जारी रहेगी। (चरण 14, 15 व 16) [1034, सी-एफ]

दीवानी अपीलीय अधिकारिता: दीवानी अपील संख्या 5306/2008।

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका (दीवानी) संख्या 10271 वर्ष 2006 में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांकित 16.11.2006 के विरुद्ध।

दीवानी अपील संख्या 5307/2008 के साथ।

मेजर के. रमेश (डॉ0 कैलाश चन्द के लिए) अपीलार्थी की ओर से।

मोहन पारासरन, एएसजी, पी. नरसिम्हन एवं बी. कृष्ण प्रसाद प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस.बी.सिन्हा, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. जहां 2007 की एसएलपी (सी) संख्या 3385 से उत्पन्न अपील दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित 16.11.2006 के एक फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा सेना न्यायालय कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई एक रिट याचिका खारिज कर दी गई है, 2007 की एसएलपी (सी) संख्या 5916 से उत्पन्न अपील समीक्षा याचिका में पारित 19 दिसंबर, 2006 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

3. हम पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों पर ध्यान देने से पहले, मामले के स्वीकृत तथ्य पर ध्यान दे सकते हैं।

4. अपीलकर्ता को 6.12.1985 को या उसके आसपास भारतीय वायु सेना में कमीशन दिया गया था। उसने एमओएफटी यूनिट में पोस्टिंग के लिए आवेदन दायर किया ताकि वह एमआईजी 21 लड़ाकू विमान उड़ाने में सक्षम हो सके। उक्त आवेदन

अस्वीकृत कर दिया गया। उसने समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया। उसके पक्ष में अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। हालाँकि, उसके खिलाफ 20.1.2006 को या उसके आसपास एक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके संबंध में 1.4.2006 को आरोपपत्र जारी किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है:

"पहला आरोप धारा 65 वायु सेना अधिनियम, 1950	<u>अच्छी व्यवस्था और वायु सेना अनुशासन के लिए हानिकारक कृत्य</u> जिसमें उसने 28/29 अप्रैल 05 की रात्रि को नई दिल्ली में, दिल्ली पुलिस के पुलिस कार्मिक हेड कांस्टेबल रणबीर और कांस्टेबल धर्मेंदर को अपना परिचय गलत तरीके से श्रीमती अंबिका सिंघानिया के पति के रूप में, यह जानते हुए भी कि ऐसा कथन मिथ्या है दिया।
दूसरा आरोप धारा 45 वायु सेना अधिनियम, 1950	<u>एक अधिकारी के चरित्र एवं स्थिति के लिए अशोभनीय रीति से व्यवहार करना</u> जिसमें उसने 28/29 अप्रैल 05 की रात्रि को नई दिल्ली में, श्री दीपेन्द्र पाठक पुलिस उपायुक्त, दक्षिण पश्चिम जिला, नई दिल्ली के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और उपद्रवी अंदाज में व्यवहार किया।
तीसरा आरोप धारा 48	<u>नशा करना</u>

वायु सेना अधिनियम, 1950	जिसमें वह 28/29 अप्रैल 05 की रात्रि को नई दिल्ली में नशे की हालत में पाया गया।
पांचवां आरोप धारा 40 (ए) वायु सेना अधिनियम, 1950	<u>अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करना</u> जिसमें उसने 06 जनवरी, 2006 को गांधीनगर (गुजरात) में भारतीय वायु सेना की दक्षिण पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय के ग्रुप कैप्टन एसएस कोठारी (16788) एफ(पी) । पर हमला किया ।
छठा आरोप धारा 45 वायु सेना अधिनियम, 1950	<u>एक अधिकारी के चरित्र एवं स्थिति के लिए अशोभनीय रीति से व्यवहार करना</u> जिसमें उसने 06 जनवरी, 2006 को गांधीनगर (गुजरात) में, ऑफिसर्स मेस मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी वायु कमान, भारतीय वायु सेना में 707519 सार्जेंट नरेन्द्र कुमार, कैटरिंग सहायक मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी वायु कमान, भारतीय वायु सेना के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और उपद्रवी अंदाज में व्यवहार किया।
सातवां आरोप धारा 47 वायु सेना	<u>वायु सेना अधिनियम के अध्यधीन और रैंक में उसके अधीनस्थ होते हुए एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना</u>

अधिनियम, 1950 (छठे आरोप के विकल्प में)	<u>जिसमें उसने</u> गांधीनगर (गुजरात) में 06 जनवरी, 06 को, ऑफिसर्स मेस, मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी वायु कमान, भारतीय वायु सेना में 707518 सार्जेंट नरेंद्र कुमार खानपान सहायक, मुख्यालय, दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान, भारतीय वायु सेना के साथ दुर्व्यवहार किया।"

5. 8.5.2006 को जनरल सेना न्यायालय द्वारा विचारण के लिए एक संयोजक आदेश जारी किया गया।

6. पहले तीन आरोपों की स्थिरता के संबंध में एक विवाद उठाया गया था, अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर कि चूंकि उसमें नामित गवाहों को जिरह के लिए पेश नहीं किया गया था, जनरल सेना न्यायालय कार्यवाही जारी रखने का उद्देश्य विफल हो गया था। जो खारिज कर दिया गया।

7. उसने जज एडवोकेट के प्रतिस्थापन के लिए एक आवेदन दायर किया। यह भी अनुज्ञात किया गया।

8. उपरोक्त आधार पर, रिट याचिका दायर की गई थी।

9. निर्विवाद रूप से, पहले तीन आरोपों के संबंध में नामित गवाहों की परीक्षा नहीं की गई थी। क्या यह वायु सेना नियमों के नियम 43 का उल्लंघन था, यह प्रश्न है।

इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"43. जनरल और जिला सेना न्यायालय का आयोजन: (1) जनरल या जिला सेना न्यायालय के आयोजन से पहले एक अधिकारी को

पहले खुद को संतुष्ट करना होगा कि सेना न्यायालय द्वारा विचारित किए जाने वाले आरोप अधिनियम के अर्थ के तहत अपराधों के लिए हैं, और कानून के अनुसार विरचित किये गये हैं, और सबूत उन आरोपों पर विचारण को उचित ठहराते हैं, यदि वह उचित समझे तो वह आरोपों में संशोधन कर सकता है, और यदि संतुष्ट नहीं है तो आरोपी को रिहा करने का आदेश दे सकता है, या मामले को वरिष्ठ प्राधिकारी को भेज सकता है।

(2) वह खुद का भी यह समाधान करेगा कि जिस सेना न्यायालय का वह आयोजन करने का प्रस्ताव रखता है, उसके विवरण के आधार पर उसके द्वारा विचारण के लिए मामला उचित है।

(3) सेना न्यायालय का आयोजन करने वाला अधिकारी कोर्ट बनाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति या विवरण देगा और ऐसे प्रतीक्षारत अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकता है या विवरण दे सकता है जैसा वह समीचीन समझे। वह, जहां वह दुभाषिया की सेवाओं को आवश्यक समझता है, वहां अदालत में एक दुभाषिया नियुक्त कर सकता है या उसका विवरण दे सकता है।

(4) संयोजक अधिकारी द्वारा उप-नियम (3) के तहत सेना न्यायालय बनाने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने या विवरण देने के बाद, सेना न्यायालय के आयोजन का आदेश और सेना न्यायालय द्वारा आरोपी के विचारण के लिए आरोप पत्र का अनुमोदन या तो संयोजक अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी कर्मचारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है। आरोप पत्र जिस पर अभियुक्त का

विचारण किया जाना है, साक्ष्य का सारांश और सेना न्यायालय की सभा के लिए आदेश को तब सेना न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारी और जज एडवोकेट, यदि नियुक्त किया जाता है, को भेजा जाएगा।"

नियमों का नियम 57 आरोपी को अन्य बातों के अलावा, इस आधार पर आरोप पर आपत्ति करने में सक्षम बनाता है कि यह अधिनियम के तहत अपराध प्रकट नहीं करता है या इन नियमों के अनुरूप नहीं है।

10. यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी आपत्ति उठाई गई थी, जिसमें कहा गया था:

"यह बताना विडंबनापूर्ण और आश्चर्यजनक होगा कि पहले तीन आरोपों से संबंधित वादकारण तब का है जब मैं नई दिल्ली में आकाशवाणी मुख्यालय में तैनात था और पिछले एक साल से मेरे खिलाफ कोई संज्ञेय कार्रवाई नहीं की गई थी। अब किसी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या साक्ष्य के सारांश में सबूतों की औपचारिक मार्शलिंग की अनुपस्थिति में, मुझे इन आरोपों का सामना करने में पूर्वाग्रह हो रहा है जो पहली बार सेना न्यायालय में सामने आए हैं जो उपरोक्त सभी वायु सेना नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अन्य बातों के अलावा, चौथे से सातवें आरोप साक्ष्य के सारांश में सबूतों का विश्लेषण करने के बाद बनाए गए हैं, लेकिन पहले तीन आरोपों में अभियोजन पक्ष के एक भी गवाह ने साक्ष्य के सारांश में गवाही नहीं दी थी जो सत्यापन के लिए खुला है। मुझे मेरे सीओ द्वारा अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र भी दिया गया था।

3. इसलिए, मैं पूरी विनम्रता से प्रार्थना करता हूं कि जनरल सेना न्यायालय के संयोजक आदेश न केवल साक्ष्यों के सारांश पर आधारित है बल्कि इसमें अधिकार क्षेत्र का भी अभाव है क्योंकि जीसीएम को आयोजित करने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी एओसी-इन-सी की नियुक्ति में एयर मार्शल रैंक का एक अधिकारी होता है और यह शक्ति और प्राधिकार किसी कर्मचारी अधिकारी को नहीं सौंपा जा सकता है जैसा कि इस मामले में किया गया है, जिसके लिए इस विषय पर पर्याप्त निर्णयज विधि हैं जिनके बारे में सम्मानित जज एडवोकट अच्छी तरह से जानते हैं।"

11. उत्तरदाताओं ने कभी भी उक्त तर्कों का खंडन या विवादित नहीं किया। हालाँकि, यह आग्रह किया गया है कि साक्ष्य के सारांश के दौरान उक्त गवाहों की जांच न करने के कारण याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। यह अभिवाक् इस आधार पर उठाया गया है कि अन्य बातों के अलावा, श्री दीपेंद्र पाठक द्वारा आरोप संख्या 2 के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और उसे स्क्वाडर्न लीडर टीएस रेड्डी जो इसके संरक्षक थे, द्वारा साक्ष्य के सारांश में प्रस्तुत किया गया है।

12. क्या आरोप-पत्र में नामित गवाहों से पूछताछ न करने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यह मूलतः तथ्य का प्रश्न है। प्रत्येक मामले में उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक निष्कर्ष निकालना आवश्यक है। अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप विशिष्ट थे। कहा गया कि जो कदाचार किए गए, वे उसमें नामित व्यक्तियों के संबंध में हैं। कार्यवाही में, सात गवाहों अर्थात् एयर कमांडर एम. भंडारी, सार्जेंट नरेंद्र कुमार, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस. दासगुप्ता, ग्रुप कैप्टन एसएस कोठारी, ग्रुप. कैप्टन पीडब्लू अंबरकर, ग्रुप. कैप्टन एससी काबरा और स्क्वाड्रन लीडर टीएस रेड्डी.की परीक्षा की गई।

13. इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि संबंधित गवाहों से पूछताछ क्यों नहीं की जा सकी। श्री रेड्डी, पीडब्लू-7 रिपोर्ट के संरक्षक था । वह उसका निर्माता नहीं था. रिपोर्ट की सत्यता या अन्यथा के संबंध में प्रभावी जिरह की जा सकती थी, यदि उसकी अन्तर्वस्तु साबित होती। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के सदृश सिद्धांत और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत भी मांग करते हैं कि रिपोर्ट के निर्माता की परीक्षा की जानी चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां तथ्यों को स्वीकार किया जाता है या गवाह जिरह के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं या समान स्थिति हो। इस बारे में कोई कारण नहीं बताया गया है कि नामित गवाहों, जो केवल वही आरोप को साबित कर सकते थे, की जांच क्यों नहीं की गई। निर्विवाद रूप से, वे प्रमुख गवाह थे।

14. उच्च न्यायालय अपने आक्षेपित निर्णय में एक तकनीकी अभिवाक पर इस मुद्दे पर विचार करने के लिए अग्रसर हुआ, कि इस तरह की गैर-परीक्षा से अपीलकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि कानून के बुनियादी सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया गया है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है, तो उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था। सेना न्यायालय कार्यवाही शुरू करने से पहले, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारी का समाधान इस निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए कि सबूत उन आरोपों पर विचारण को उचित ठहराते हैं। बिना किसी सबूत के ऐसा समाधान नहीं मिल सकता। यदि कोई आदेश बिना किसी साक्ष्य के पारित किया जाता है तो उसे विकृत माना जाना चाहिए।

15. उच्च न्यायालय की यह राय भी सही नहीं थी कि अपीलकर्ता ने उक्त कार्यवाही में कोई आपत्ति नहीं उठाई।

16. इसलिए, हमारी राय है कि आरोप संख्या 1, 2 और 3 के संबंध में दिए गए फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। उन्हें तदनुसार अपास्त किया जाता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आरोप संख्या 4 से 7 को साबित करने के लिए गवाहों की परीक्षा की गई है। जनरल सेना न्यायालय कार्यवाही आरोप संख्या 4 से 7 के संबंध में जारी रहेगी, न कि आरोप संख्या 1 से 3 के संबंध में। उपरोक्त सीमा तक लागत के साथ अपील अनुज्ञात की जाती है। काउंसेल शुल्क रु. 50,000/- निर्धारित किया गया।

एस.के.एस. अपील आंशिक रूप से अनुज्ञात की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **नवनीत (आर. जे. एस.)** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।